रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 8, 2008/पौष 18, 1929
No. 35] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 8, 2008/PAUSA 18, 1929

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2008

का.आ. 49(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एस ई आई ए ए), मध्य प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, मध्य प्रदेश कहा गया है) का गठन करती है जिसमें मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित तीन सदस्य अर्थात् अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव समाविष्ट होंगे, जो निम्नलिखित हैं :–

1. श्री सुब्रोतो बनर्जी, भा. प्र. से (सेवानिवृत) एच 11/95, अरविन्द विहार, बाग मुगलई भोपाल-462043 —अध्यक्ष, प्रबंधन

2. श्री मुहम्मद हाशिम, भा.व.से. (सेवानिवृत) गांव सिंगरचौली, गुलमोहर मैरिज हाल के पीछे, एयरपोर्ट रोड, भोपाल (मध्य प्रदेश) —सदस्य, वानिकी और वन्यजीव

3. कार्यकारी निदेशक, पर्यावरणीय योजना समन्वय संगठन भोपाल, पूर्व-पदेन सचिव, आवास और पर्यावरण विभाग मध्य प्रदेश सरकार —सदस्य-सचिव

2. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष होगी ।

3. प्राधिकरण, मध्य प्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो अधिसूचना संख्याक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में दी गई है ।

4. प्राधिकरण मध्य प्रदेश इस आदेश में मध्य प्रदेश सरकार के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस ई ए सी) की सिफारिशों के आधार पर अपने निर्णय देगी ।

5. मध्य प्रदेश राज्य सरकार अभिकरण को प्राधिकरण के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित करेगी और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता, जिसके अंतर्गत आवास सुविधा, परिवहन, और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी । प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक फीस, यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियमानुसार संदत्त होगा ।

6. उक्त प्राधिकरण की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, मध्य प्रदेश का गठन करती है (जिसे इसमें इसके पश्चात् एस ई ए सी कहा गया है) जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे :—

1.	श्री सुरेश चन्द्र जैन पूर्व सचिव, म.प्र. राज्य चुनाव आयोग 30 निशात कालोनी, भोपाल मध्य प्रदेश-462003	—अध्यक्ष, प्रबंधन
2.	डॉ. एस. आर. शुक्ला 50 निर्माण अपार्टमेंट, मयूर विहार फेज-1, (एक्सटेंशन) दिल्ली-110091	—सदस्य, पर्यावरण गुणवत्ता
3.	श्री वी. सुब्रामणयन प्रोफेसर, स्कूल आफ एन्वयारमेंटल साईस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110067	—सदस्य, पर्यावरण गुणवत्ता
4.	प्रो. के. सी. माथुर विजिटिंग प्रोफेसर, भिलाई इंस्टीटयूट आफ टैक्नोलाजी, दुर्ग, बी-79, फर्स्ट फ्लोर, स्ट्रीट-12, स्मृति नगर, भिलाई, छत्तीस गढ़-490020	—सदस्य, पर्यावरण, गुणवत्ता
5.	श्री के.के. गोस्वामी, सेवानिवृत वन संरक्षक, म.प्र., ई-3, सुरेन्द्र गार्डन, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462	सदस्य वानिकी और वन्यजीव
6.	डॉ. डी एल मंजुनाथ, सेवानिवृत प्रोफेसर विभागाध्यक्ष सिविल इंजीनियरिंग, मलानड कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, हसन, कर्नाटक, 'तुंगा' ईश्वर मंदिर के निकट, गोरी कोपल रोड, हसन, कर्नाटक-573201	—सदस्य, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया
7.	सदस्य सचिव मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य

7. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष होगी और एस ई ए सी, मध्य प्रदेश का प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनर्गठन किया जाएगा ।

8. एस ई ए सी, मध्य प्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 में दी है ।

9. एस ई ए सी, मध्य प्रदेश सामूहिक दायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी । अध्यक्ष, प्रत्येक मामले में एकमत होने का प्रयास करेगा और यदि एकमत नहीं हो सकता तो बहुमत का विचार अभिभावी होगा ।

10. मध्य प्रदेश राज्य सरकार, अभिकरण को एस ई ए सी, मध्य प्रदेश के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित करेगा और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता, जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा, परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवायेगी । एस ई ए सी के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[सं. जे-11013/63/2007-आई ए-II(I)]

रा. आनन्दकुमार, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2008

S.O. 49(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the Government of India notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the Authority, Madhya Pradesh) comprising of three members namely, Chairman, Member and Member Secretary nominated by the State Government of Madhya Pradesh as under:—

1.	Sh. Subroto Banerjee, IAS (Retd.), H-II/95, Arvind Vihar, Bagh Mugalia, Bhopal-462043.	—Chairman, Management
2.	Sh. Muhammad Hashim, IFS (Retd.), Village Singarcholi, Behind Gulmohar Marriage Hall, Airport Road, Bhopal, M.P.	—Member, Forestry and Wildlife
3.	Executive Director, Environmental Planning Coordination Organisation (EPCO), Bhopal, Ex-officio Secretary, Housing and Environment Dept., Govt. of M.P.	—Member Secretary

2. The Chairman and Members shall have the term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Madhya Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006.

4. The Authority, Madhya Pradesh shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted for the State of Madhya Pradesh in this order.

5. The State Government of Madhya Pradesh shall notify the agency to act as secretariat for the Authority and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions. Sitting Fee, Travelling Allowance/Dearness Allowance to the Chairman and Member of the Authority shall be paid by the State Government of Madhya Pradesh as per State rules.

6. To assist the said Authority, the Central Government, in consultation with the State Government of Madhya Pradesh, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Madhya Pradesh (hereinafter referred to as SEAC), which shall comprise the following Members :

1.	Sh. Suresh Chandra Jain, Former Secretary, M.P. State Election Commission, 30, Nishat Colony, Bhopal, MP- 462003.	Chairman, Management
2.	Dr. S. R. Shukla 50, Nirman Apartments, Mayur Vihar, Phase-1 (Ext.), Delhi-110091.	Member, Environment Quality
3.	Sh. V. Subramanian Professor, School of Environmental Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi-110 067	Member, Environment Quality
4.	Prof. K.C. Mathur, Visiting Professor, Bhilai Institute of Technology, Durg. B-79, First Floor, Street-12, Smriti Nagar, Bhilai, Chhattisgarh Pin : 490 020.	Member, Environment Quality
5.	Sh. K.K. Goswami, Retd. Conservator of Forests, MP, E-3, Surendra Garden Ahmedpur Hoshangabad Road, Bhopal-462	Member, Forestry and Wildlife
6.	Dr. D.L. Manjunath, (Retd.) Professor and Head, Deptt. of Civil Engineering, Malnad College of Engineering, Hassan, Karnataka, "Tunga", Near Eshwara Temple, Gowri Koppal Road, Hassan, Karnataka- 573 201	Member, EIA Process
7.	Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board	Secretary

7. The Chairman and Members shall have the term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and SEAC, Madhya Pradesh shall be reconstituted after every three years.

8. The SEAC, Madhya Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006.

9. The SEAC, Madhya Pradesh shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

10. The State Government of Madhya Pradesh shall notify the agency to act as secretariat for the SEAC, Madhya Pradesh and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect to all its statutory functions. Sitting Fee, Travelling Allowance/Dearness Allowance, to the Chairman and Members of the SEAC shall be paid by the State Government of Madhya Pradesh as per State rules.

[No. J-11013/63/2007-IA. II (I)]

R. ANANDAKUMAR, Scientist 'G'

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.